8.12.2022 प्रार्थी वकील उपस्थित।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त, पैतृक स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि तहसील सिणधरी के पटवार मण्डल धनवा के मौजा धनवा के खेत खसरा नम्बर 100/1, 11/2, 287, 52/1, 64/2 रकबा क्रमशः 2.0468, 3.3169, 5.1776, 1.8364, 1.6018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी दोयम की आई हुई हैं। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 विप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र होने से वादग्रस्त खेतान में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का बराबर 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी का है। चूंकि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार हैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता हैं इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज काश्त. अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं, यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राज.काश्त. अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता हैं। विवादित भूमि पैतृक होने से एवम् हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुरूप प्रार्थी विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य वादग्रस्त खेतों में अपने–अपने हिस्से की भूमि का बाहमी बंटवाड़ा भी आज से 20 वर्ष पूर्व हो चुका है और उक्त बाहमी बंटवाड़े मुताबिक पक्षकार अपने हिस्से की भूमि पर पिछले कई सालों तक शान्तिपूर्वक निर्बाध काबिज चले आ रहे है, लेकिन पिछले पंद्रह दिन पूर्व से विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी को कब्जा हटाने की धमकी दी है राजस्व रेकर्ड में सिर्फ विप्रार्थी संख्या 01 का नाम अंकित होने का वैजा फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि हड़पने के उद्देश्य से विप्रार्थी 01 ने विप्रार्थी संख्या 2 से मिलकर प्रार्थी को अपने हिस्से व कब्जा –काश्त की भूमि से महरूम करने के उद्देश्य से दिनांक 23.03.2022 को दस्तावेज संख्या 202203081100633 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:37:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

85/2022

मौजा धनवा के खेत खसरा नम्बर 100/1, 11/2, 287, 52/1, 64/2 रकबा क्रमशरू 2.0468, 3.3169, 5.1776, 1. 8364,1.6018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी दोयम की सम्पूर्ण भूमि का विप्रार्थी संख्या 2 की पत्नी विप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में दान कर दिया, वास्तविक हिस्से से अधिक दान करने का विप्रार्थी संख्या 01 को कोई अधिकार नहीं है, तथाकथित दान–पत्र में प्रार्थी पक्षकार नहीं होने से प्रार्थी के हितों के प्रति उक्त दान पत्र शून्य निष्प्रभावी व बैअसर हैं विप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हिस्से से अधिक किये गये दान को प्रार्थी अपने हिस्से की सीमा तक निष्प्रभावी करवाने के अधिकारी होने व वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम नहीं होने से प्रार्थी के शान्तिपूर्ण तरीके से चले आ रहे कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर रहे हैं इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को मौके पर हिस्से एवं कब्जेनुसार दान–पत्र दस्तावेज को अपने हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाकर बाई मिट्स एवं बाउण्ड विभाजित करवाने के हकदार है, कि विप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध है, जो विप्रार्थी संख्या 02 के प्रभाव में है तथा विप्रार्थी संख्या 02 बदमाश है, प्रार्थी को उनके हक हिस्से से महरूम कर सकते हैं विप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी को पिछले पंद्रह दिनों से लगातार धमकियां दे रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हितों पर भारी कुठाराघात होगा और प्रार्थी की आजीविका संकट में पड़ जावेगी, इसलिये वादी, विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा इस आश्य की जारी करवाने का अधिकारी हैं कि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त खेतों में प्रार्थी के हिस्से में किसी भी प्रकार दखलन्दाजी न स्वयं करे तथा न किसी अन्य से करावें तथा अपना सम्पूर्ण हिस्से अथवा कोई भी भाग किसी भी व्यक्ति को बेचान, दान या अन्य तरीके से अंतरित नहीं करे, न ही भूमि को किसी बैंक या संस्था को गिरवी रखे और वादग्रस्त खेतों के संबंध में मौके एवं अभिलेखीय स्थिति मौजा धनवा के खेत खसरा नम्बर 100/1, 11/2, 287, 52/1, 64/ 2 रकबा क्रमशः 2.0468, 3.3169, 5.1776, 1.8364, 1. 6018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी दोयम में वादीगण [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा किये गये अंतरण को वादी के हिस्से की सीमा तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थी सं. 1 से 3 किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:37:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादग्रस्त भूमी मौजा धनवा के खेत खसरा नम्बर 100/1, 11/2, 287,

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

52/1, 64/ 2 रकबा क्रमशः 2.0468, 3.3169, 5.1776, 1.8364, 1.6018 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी दोयम वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के दादा तुलछा के नाम दर्ज हुई। जंहा तक प्रार्थी ने अपने अभिकथनों में उल्लेखित किया कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार इस वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता आदाराम के नाम अंकित हिस्से में प्रार्थी का विप्रार्थी सं. 2 के साथ अपने पिता के साथ उनके बराबर हिस्सा, प्रार्थीगण के जन्म के क्षण ही पैदा हो चुका था, प्रार्थी को अपने पैतृक सहदायिकी हिस्से से विधिविरूद्ध तरीके से वंचित किया है तथा विधिविरूद्ध दान के आधार पर विप्रार्थीगण मात्र खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थी को अपने उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति से वंचित रखते हुए उन्हें कब्जे काश्त की भूमि से बेदखली पर उतारू है ,ऐसी स्थिति में प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थी, विप्रार्थी सं. 1 व 2 का सामुहिक रूप से हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा व्यक्त अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का आगे–से–आगे बेचान के जरिये कब्जे काश्त की स्थिति में रद्वोबदल अथवा मौका स्थिति में भिन्नता की स्थिति पैदा होने की दशा उत्पन्न होती हैं तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थीगण को जरिये स्थगन आदेश के पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम धनवा के खसरा नम्बर 100/1, 11/2, 287, 52/1, 64/ 2 रकबा क्रमशः 2.0468, 3.3169, 5. 1776, 1.8364, 1.6018 हैक्टेयर भूमि अवस्थित में प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:37:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी